फर्द अहकाम

2024/516

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

परमेश्वरी बनाम रेशमा आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. प्रकरण संख्या 62 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
14.08.2024	प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थनापत्र जरिये वकील पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को कथित करते हुऐ बहस की कि माननीय न्यायालय द्वारा रेशमा आदि बनाम भादरराम आदि मुकदमा नं0 476/2020 वाद पत्र घोषणा स्थाई व खाता विभाजन हेतु पेश किया गया था। उक्त वाद दिनांक 07.05.2024 को स्वीकार फरमाया गया जिसकी पालना में प्रार्थीया के नाम तहसील रावतसर के चक 3 एस.पी.एम.ए. के प0 नं0 218/426 (47) की किला नं 1, 2, 10, 11, 20, 21 की कुल 1.2400 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि को अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई जिसकी अपील प्रार्थीया द्वारा परमेश्वरी बनाम रेशमा आदि अपील संख्या 97/2024 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष पेश की गई जिसे अपील न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 06.08.2024 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुऐ विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर उभय पक्षकारों को पुनः सुनवाई कर 60 दिवस में निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया है। चुंकि माननीय न्यायालय का निर्णय अपास्त हो चुका है परन्तु निर्णय की पालना में न्यायालय के आदेश से प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो चुकी है। जिसे प्रार्थीया धारा 144 सी0पी0सी0 के तहत प्रत्यास्थापन आदेश द्वारा पुनः स्वयं के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। न्यायालय द्वारा सम्बन्धित विधि का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विचारण न्यायालय व अपील न्यायालय के निर्णयों का अवलोकन किया गया है। प्रार्थीया द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत मूर्ति भवानी बनाम रमेश आदि एस0सी0 2019 (1) डी.एन.जे. का अवलोकन किया गया विधिनुसार विचारण न्यायालय के आदेश अनुसार किसी प्रकार का कार्य किया जाता है और विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाने पर प्रभावित पक्षकार विचारण न्यायालय के निर्णय के समय की स्थिति का बहाल करवाने का अधिकारी होता है। उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय के आदेश को अपील न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया हैं विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में ही प्रार्थीया की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड के फेर बदल किया गया हैं इस कारण प्रार्थीया को धारा 144 सी. पी.सी. के प्रावधान अनुसार विचारण न्यायालय के निर्णय की स्थिति बहाल करवाने की अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसील रावतसर के चक 3 एस.पी.एम.ए. के प0 नं0 218/426(47) की किला नं 1,2,10,11,20,21 की कुल 1. 2400 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि जो कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है, को प्रत्यास्थापन आदेश द्वारा पुनः प्रार्थीया के नाम दर्ज किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sanjay Kumar Date: 2024.08.28 18:37:41 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner